



नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २५] काठमाडौं, वैशाख १६ गते २०३२ साल [अतिरिक्ताङ्क ४ (क)]

श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय

राजदरबारको

सूचना

नागार्जुन शाही वन प्रवेश तथा वन पैदावार बिक्री

बितरण नियमावली, २०३२

नागार्जुन शाही वनको संरक्षण, प्रवेश तथा वन पैदावार बिक्री बितरणको व्यवस्था गर्न मान्यनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराजबाट देहायको नियमावली स्वीकृत गरिबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:- (१) यस नियमावलीको नाम “नागार्जुन शाही वन प्रवेश तथा वन पैदावार बिक्री बितरण नियमावली, २०३२” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा:- विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा-

(क) “वन” भन्नाले नागार्जुन शाही वन सम्झनु पर्छ ।

(ख) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले शाही वन जन्तु संरक्षण विभाग राजदरबारबाट वनमा प्रवेश तथा वन पैदावार बिक्री बितरणको व्यवस्थाको लागि तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

(२)

नेपाल राजपत्र भाग ३

३. प्रवेश-पत्र लिनु पर्ने:- (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुमति वा प्रवेश-पत्र नलिई कुनै पनि व्यक्तिले वनभित्र प्रवेश गरी घुम्न, डुल्न वा पाल टाँगी बस्न पाउने छैन ।

(२) उप-नियम (१) बमोजिमको प्रवेश-पत्र लिन चाहने व्यक्तिले अनुसूची १ बमोजिमको शुल्क तिरी प्रवेश-पत्र लिन सक्नेछ ।

तर प्रवेश-पत्र बिदेशी नागरिकले अनुसूची १ मा उल्लिखित शुल्कको दोब्बर प्रवेश शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

४. अनुसूची २ बमोजिमको वन पैदावार लिन मोल तिर्नु पर्ने:- वन क्षेत्रबाट अनुसूची २ बमोजिमको कुनै वन पैदावार लिन चाहने व्यक्तिले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सोही अनुसूचीमा उल्लेखित मोल बुझाई वन पैदावार खरीद गर्न सक्नेछ ।

५. जरिवाना:- अनुमती वा प्रवेश-पत्र नलिई वनभित्र प्रवेश गर्ने वा घर पालुवा चौपाया प्रवेश गराई चरी चराई गर्ने व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

६. ग्रामदानी दाखिल गर्ने:- अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रवेश-पत्रबाट उठेको शुल्क, वन पैदावार बिक्री बितरणबाट प्राप्त भएको रकम तथा जरिवानाको रकम ढुकुटी विभाग राजदरबारमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

७. अपराध गर्ने व्यक्ति माथि कार्यबाहिको व्यवस्था:- वनसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून-व्द्वारा वण्ड सजाय हुने किसिमको अपराध कुनै व्यक्तिले वन क्षेत्रभित्र गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई वनसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजाय गराउनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित वन कार्यालयमा पठाउन सक्नेछ ।

८. क्षतिपूर्ति असूल गरिने:- नागार्जुन शाही वन क्षेत्रको बार, परखाल, सिमाना वा चिन्हो भत्काउने वा बिगाने व्यक्तिसंग अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यसरी भत्काइएको वा बिगारिएको बार, परखाल, सिमाना वा चिन्हो पुनः बजाउँदा वा मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च बराबरको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा असूल उपर गरी पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२६

अनुसूची-१

(नियम ३ को उप-नियम (२) संग सम्बन्धित)

(१) पंदल जवान एक्को -	पच्चीस पैसा ।
(२) लहरी, ट्रक र बस एक्को -	पन्ध्र रुपैयाँ ।
(३) मोटरकार, बग्गी र हात्ती एक्को -	सात रुपैयाँ ।
(४) जीप र मिनिबस एक्को -	आठ रुपैयाँ ।
(५) जुनसुकै सवारीमा ट्रेलर राखी ल्याएकोमा ट्रेलर एक्को -	तीन रुपैयाँ ।
(६) टेम्पो एक्को -	चार रुपैयाँ ।
(७) मोटर साईकल, सनसाईन र स्कूटर एक्को -	तीन रुपैयाँ ।
(८) साईकल एक्को -	पचास पैसा ।
(९) रिक्सा र घोडा एक्को -	एक रुपैयाँ ।
(१०) पालटांगी वनमा बढीमा सात दिनसम्म बस्न दिनको लागि प्रवेश शुल्कको अतिरिक्त प्रत्येक पालको-	पन्ध्र रुपैयाँ ।

ब्रष्टव्य:- नं. १-९ सम्मका प्रवेशपत्रहरू एक दिनको भरी अर्थात् बिहान सात बजेदेखि बेलुकी दश बजेसम्मको लागि वैध हुनेछ ।

अनुसूची-२

(नियम ४ संग सम्बन्धित)

वन पंदावारको नाम	एक जनाले बोक्न सक्ने भारी एक्को मोल	ट्रक एक्को मोल
घाँस	पचास पैसा	पचहत्तर रुपैयाँ
खर	दुइ रुपैयाँ	तीस रुपैयाँ
बाबियो	तीन रुपैयाँ	पचास रुपैयाँ

हुकुमबक्सबमोजिम

फल्याणविक्रम अधिकारी

श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

1974

[illegible]

- | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. लोभं लोभः | (१) लोभ-लोभः (२) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (१) |
| 2. लोभं लोभः | (३) लोभ-लोभः (४) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (२) |
| 3. लोभं लोभः | (५) लोभ-लोभः (६) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (३) |
| 4. लोभं लोभः | (७) लोभ-लोभः (८) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (४) |
| 5. लोभं लोभः | (९) लोभ-लोभः (१०) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (५) |
| 6. लोभं लोभः | (११) लोभ-लोभः (१२) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (६) |
| 7. लोभं लोभः | (१३) लोभ-लोभः (१४) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (७) |
| 8. लोभं लोभः | (१५) लोभ-लोभः (१६) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (८) |
| 9. लोभं लोभः | (१७) लोभ-लोभः (१८) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (९) |
| 10. लोभं लोभः | (१९) लोभ-लोभः (२०) लोभ-लोभः | — लोभ-लोभः (१०) |

- [Faint, mostly illegible handwritten notes at the bottom of the page.]*

1971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

। नदी नदीनाम , जलसंधि , नदीनाम विवरण कि . नि

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।